न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—16/2018/223 (2018/00016)

1. श्रीमती कमला पत्नि स्व0 भागीरथ,
2. भंवरी पुत्री स्व0 भागीरथ,
3. प्रेम पुत्री स्व0 भागीरथ,

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम कुण्ड का लाम्बा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सूरजमल पुत्र स्व0 नसीबा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— शिवराज पुत्र स्व0 सूरजमल,
   1/2— छीतरमल पुत्र स्व0 सूरजमल,
   1/3— शान्ति पुत्री स्व0 सूरजमल,
   1/4— मिश्री पुत्री स्व0 सूरजमल,
   1/5— गंगा पुत्री स्व0 सूरजमल,
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम कुण्ड का लाम्बा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 21.12.2017 अंतर्गत वाद संख्या 36/2013.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट।
2. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1.
3. रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 21.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम लाम्बा तहसील मसूदा में स्थित हाल खसरा नंबर 1301, 1302, 1303, 1361, 1362, 1369, 1371, 1373, 1374, 1376/1, 1377, 1378, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1475, 1478, 842 कुल किता 20 कुल रकबा 42 बीघा 15 बिस्वा आराजियात स्थित है जो वादीगण एवं प्रवितादी संख्या 1 की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे

है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना विधिक विभाजन कराये वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द करने एवं कृषि से अकृषि में उपयोग करने एवं आये दिन झगड़ा फसाद करने में आगादा है । विवादित आराजी का आज दिवस तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है । अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का विधिक बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल की ओर से दिनांक 24.7.2013 को अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया । वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 का स्वर्गवास होने पर प्रकरण में वादीगण/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 जा0दी0 का दिनांक 20.7.2017 को पेश किया जिसे विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 21.12. 2017 को खारिज कर वादीगण का वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज करने का निर्णय व डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1/1 अनुपस्थित शेष रेस्पो0 संख्या 1/2 से 1/5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड होने से काबिल निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करने से पूर्व संपूर्ण पत्रावली एवं दस्तावेज का बिना अवलोकन किये ही एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा पारित नजीरों का बिना अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0अधि0 के अभिकथनों को भली–भांति अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारि तकिया है क्योंकि राजस्व अभिलेख से यह सिद्ध था कि वाद वादवर्णित आराजी के बंटवारा बाबत् था तथा बंटवारा का वाद अबैट नहीं किया जा सकता है । प्रकरण की आदेशिका दिनांक 23.11.2017 से यह सिद्ध है कि प्रकरण प्रतिवादी के वारिसान की तलबी बाबत् आगामी पेशी दिनांक 7.12.2017 नियत था । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 के स्वर्गवास होने पर प्रतिवादी वकील द्वारा न्यायालय को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 क जा0दी0 के तहत सूचित किया जाना आवश्यक था, ताकि मृतक की सूचना वादीगण को दिया जा सके किन्तु न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई । यह भी कथन किया कि वाद बंटवारे का था जिसको तकनीकी आधार पर निरस्त करने के बजाय अधी0न्याया0 को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था। अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांटस का वाद अबैटमेंट के आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1998 पेज 218 एवं ए0आई0आर0 सुप्रीमकोर्ट पेज 606 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पा0 संख्या 1/1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस ने मृतक प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु समय अवधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जबकि

अपीलांटस को प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल की मृत्यु की जानकारी प्रारंभ से थी । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये थे । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का वाद विधिसम्मत् रूप से अबैट मानकर खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल के विरूद्ध अधी0न्याया0 में वादग्रस्त आराजियात बाबत् वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया गया था । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल का दिनांक 25.5.2016 को स्वर्गवास हो गया था जिस पर अपीलांट अधिवक्ता ने दिनांक 20.7.2011 को अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 जा0दी0 मय धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र पेश कर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/वादीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के ठोस कारण अंकित नहीं किये है । इस संबंध में हम विद्वान वकील अपीलांटस के इस कथन से भी सहमत है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना से वादीगण/अपीलांटस को अवगत कराया जाना चाहिये था किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना अपीलांटस/वादीगण को दी गई हो । हम अधिवक्ता अपीलांटस के इस कथन से भी सहमत है कि अधी0न्याया0 में वाद बंटवारे का भी था तथा बंटवारे के वाद को अबैटमेंट के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर वाद को तकनीकी आधार पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2017 को निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12. 2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर